RAJYA SABHA

Friday, the 30th April, 1982/lOth *Vaisakha,* 1904 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock. **Mr.** Chairman in the Chair.

ORAI, ANSWERS TO QUESTIONS

*81. | The *questioner (Shri Pyarelal Khandelwal) was absent. For answer* vide *col$.* 48—50 *infra].*

MR CHAIRMAN: Question No. 82 Mr. Robin Kakati.

Indian Nationals Detained in a Pak Jail

*82. SHRI ROBIN KAKATIf:
SHRI SADASHIV BAGAITKAR;

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to **a** report appearing in the 'Hindustan Times', dated April 5, 1982, to the effeet that at least 10 Indian nationals including a woman have spent over 8 years in **a** Pakistani Jail without trial, and have been subjected to torture resulting in loss of eye sight and upsetting of their mental balance;

, (b) if so, what are the details in this regard and what efforts have been made by Government to secure their release and to arrange for their repatriation to India; and

(c) whether Government have lodged any protest to Pakistan Govei nment in this regard and if so what is Pakistan Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes, Sir.

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Robin Kakati.

287 RS—1.

(b) and '(c) As soon as the matter came to our notice, our Embassy in Islamabad was instructed to take it up with the Government of Pakistan. Our Embassy immediately took up the matter with the Pakistan Foreign Office and protested against the reported harsh conditions of detention and urged immediate arrangements for their repatriation to India.

Pakistan Foreign Office has said that the matter has been referred to the concerned authorities. Pakistan Government's reply is still awaited.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : प्रश्नों के जो विवरण दिये जाते हैं वे हिन्दी में नहीं आते आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं । हिन्दी वाले सरकार भेजती नहीं हैं ।

श्री सभापति : मैं ताकीद करता हूं कि हिन्दी में जरूर रखे जाएं ।

SHRI ROBIN KAKATI: Sir, may I know whether Government has received any information from the relations of these prisoners and, if so, what acion has been taken by the Government? Secondly, when did the Government get the information, before it appeared in the newspaper? Thirdly, is it a fact that six of these prisoners became blind and the others are mentally retarded?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, it is a fact that out of these prisoners some have become mentally retarded and the eyesight of some has been adversely affected. The information we got was on the 7th of March. The protest was lodged by our Mission in Islamabad on the 17th of March. These are the facts.

SHRI ROBIN KAKATI: The information was received from the relatives?

SHRI' P. V. NARASIMHA RAO: This actually came from an organisation in Karachi which informed us

about the plight of these prisoners. Evidently that organisation must have got information directly or indirectly from the prisoners or on behalf of the prisoners. That part of it we are not aware of. But the fact is on the 7th March we got this information first.

MR. CHAIRMAN: I did not want to ask the question, but you have not said how many are there.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Ten, Sir.

SHRI ROBIN KAKATI: Sir .....

MR. CHAIRMAN; You have put three in one.

पहली सप्लीमेंटरी के चार बच्चे हुए हैं, अब इसके देखते हैं ।

SHRI ROBIN KAKATI: May I know whether many other Indians are confined in Pakistan jail and, if so, their number and the steps taken to release them?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: That is a very general question. Certain figures have been aired in the past but I would not like to commit myself to a particular figure.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और मंत्री जी ने स्वयं दूसरे सदन में इसका "एक्सेसिव एक्सेस" कह कर उल्लेख किया है । एक तो हैरानी की बात यह है कि मंत्री जी ने कहा कि 7 मार्च को यह इन्फारमेशन उनको मिली । मेरे पास 5 अप्रैल की इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है । 7 मार्च की जो बात इन्होंने कही है—(**व्यवधान**) ।

श्री सभापति : महीने की गलती हो गई है ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : जी नहीं, महीने की गलती नहीं हुई है । 5 तारीख को जो आया है, यह वहां के, करांची के दो डेलीज हैं, अमन और जम्हुरियत, उनमें इनकी रिपोर्ट आई है । वहां के ह यूमन राइट्स के पदाधिकारी श्री अब्दुल ताहिर अंसारी हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया है और हिन्दुस्तान के अखबारों में यह आया है । इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट है वह यह है—

"The report says that 10 Indians have submitted that they legally entered Pakistan with their relatives, but were placed under detention without any reason."

यानी ऐसा मामला नहीं है कि वे विदआउट डाकुमेंट के इललीगली चले गये, यह रिपोर्ट है ।

"They entered Pakistan legally with documents."

वे अपने रिलेशन्स को मिलने के लिए गये । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान जाने के लिए जब आप किसी को अनुमति देते हैं तो आपके पास क्या रिकार्ड होता है ? पाकिस्तान सरकार का जो वीजा होता है उसमें तो पाबन्दी रहती है कि चार हफ्ते के लिए या छ : हफ्ते के लिए देते हैं । उस मियाद के बाद वे वापस आए हैं या नहीं, इसकी छानबीन करके देखने का काम आपकी मंत्रालय या जो वीजा इसू करते हैं वे करते हैं या नहीं ? मैं इस सवाल को इसलिए छेड़ना चाहता हूं कि यह मामला 1974 का है । उनकी लिस्ट भी दूसरे सदन में श्री दंडवते ने आपको दी है और मेरे पास भी लिस्ट है जो अखबारों में आई है । उसमें छ : लोगों की आंखें चलीं गई और कुछ लोग मेंटली डिरेन्ज हो गये । सन् 1974 चे वे वहां पर सड़ र हैं । मैं नहीं समझता कि विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना इसके पहले क्यों और कैसे नहीं मिल सकी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस स्थिति पर ध्यान दिया या नहीं दिया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार के पास

क्या आपने लिख कर कोई पूछताछ की है या नहीं और इसके पहले इसकी पूछताछ क्यों नहीं की ? पाकिस्तान के बारे में बारबार यह सवाल उठ रहा है । मिलेट्री परसोनल की बात अलग है । दो सौ आदमी हमारे पाकिस्तान में हैं । यह तो सिविल प्रीजनर्स की बात है । उनके साथ यह अन्याय हो रहा है । इसका मतलब तो यह हुआ कि पाकिस्तान जाने वाले सेफ नहीं रहते हैं । मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मंत्री जी को साफ जवाब देना चाहिए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, सबसे पहले बात तो यह है कि अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो उसकी इजाजत मिलती है पाकिस्तान सरकार से, हम से नहीं । वीजा पाकिस्तान से मिलता है, हम से नहीं और जिन-जिन को पाकिस्तान वीजा देता है उनकी फेहरिस्त हमारे पास नहीं रहती है । जिनको गिरफ्तार किया गया, जहां तक हमारी जानकारी है, इस इल्जाम पर कि इनके पास कोई वेलिड ट्रेवल डाकूमेंट नहीं था । बद्किस्मती से दो-दो, तीन-तीन महीनों के लिए उनकी कद में तौसीह की गई, उनका समय एक्सटेन्ड किया गया और इस तरह से आठ साल गुजर गये । इसी को मैंने 'एक्सेसिव एक्सेस' कहा था । लेकिन हमारे पास यह कहने के लिए कोई गुंजायश नहीं है कि ये ट्रेवल डाकुमेंट्स सही थे या नहीं थे । हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार इनको गिरफ्तार इस लिए किया गया कि पहली बार इनके पास ट्रेवल डाकुमेंटस नहीं थे । अगर होते तो किसी और इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया होता, इस इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया गया होता, यह पोजीशन है ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, मैं यह सवाल नहीं पूछ रहा हूं । मैंने तो यह पूछा है कि जो भी पाकिस्तान में जाने वाले लोगों के साथ अन्याय हुआ क्या उसके आंकड़े है । उन्होंने कहा कि वीसा पाकिस्तान देता है, मुद्दत लिखी हुई होती है, हमको मालूम नहीं होता । क्या हमारे सिटीजंस जो हैं उनको सेफ्टी का आप आश्वासन देंगे और मुल्कों को छोड़ दें, पाकिस्तान के जाने वाले यात्री जब यहां से चले जाते हैं तो उस समय उनका पासपोर्ट और वीसा चैक होता है, तो क्या उसका रिकार्ड आप देखेंगे कि दो महीने के लिये गये हैं या तीन महीने के लिये गये हैं, पुलिस के जरिये कि वे वापस आये या नहीं क्या इसकी छानबीन करायेंगे वरना इनके लिये कोई प्रोटेक्शन नहीं है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बात यह है कि लाखों लोग वीसा लेकर कई देशों में चले जाते है, आते हैं । उन सब लोगों का हिसाब हम रखें, यह काम मुमकिन होने वाला नहीं है ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : लाखों लोग कहां जाते है पाकिस्तान ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पाकिस्तान की बात नहीं कह रहा हू, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूं ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हुं ।

श्री सभापति : क्या कोई सिस्टम रिपोर्टिग का हो सकता है कि जिसको वीसा मिले वही लिखकर भेजे कि हमको इतने दिनों का वीसा मिला है ।

श्री पी० वी० नरसिंहराव : नहीं ।

श्री सभापति : नहीं हैं ऐसा दैट्स आल राइट ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि आठ साल से ये कैदी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहेहैं और उनकी हालत खराब हो रही है ।

जो इन्होंने बयान किया इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कई बार हिन्दुस्तान के अखबारों में और दुनिया के अखबारों में यह खबर आई है और मंत्री महोदय भी जानते हैं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, थे और जिनको जेल में रखा गया था, जिस जेल की सैल में उनको रखा गया था वहां उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि उनके सेल में उनकी आवाज आती थी उस सैल से जहां हिन्दुस्तान के कैदियों को रखा गया था, वे जोर जोर से पुकारते थे, बड़े कष्ट से पुकारते थे । जब उनको तकलीफ होती थी तो वे कष्ट से पुकारते थे । यह खबर हिन्दुस्तान के अखबारों में आई है । मुझे इन समाचारों के प्रकाशन की सही तारीख मालूम नहीं है लेकिन पूरे हिन्दूस्तान के अखबारों में इस तरह के समाचार आये हैं और इसके बारे में सरकार को ईल्म है । हिन्दुस्तान के प्रिजनर्स, कैदी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। मुझे बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि 7 मार्च की यह खबर पहली बार हिन्दुस्तान की सरकार को मिली है । मैं सरकार से और खासकर मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस खबर के आने के बाद से क्या हिन्दुस्तान सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने यह कोशिश नहीं कि कितने कैदी पाकिस्तान की जेलों में है और क्या ये खबरें सही हैं या नहीं हैं, क्या इसकी जांच पड़ताल सरकार ने की है ? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की ? अभी कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां आये थे उस वक्त भी इस समस्या को उनके सामने लाया गया या नहीं लाया गया ? उनकी तरफ से क्या जवाब है, इस सिलसिले में मंत्री महोदय साफ बतायें क्योंकि उन्होंने कहा कि पहली बार 7 मार्च को सरकार को खबर मिली और 17 मार्च को आपने इस बारे में प्रोटेस्ट किया, इतनी देर से प्रोटेस्ट करने का क्या कारण है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमें 7 मार्च को खबर मिली और 17 मार्च को हमारे दूतावास की तरफ से वहां कहा गया । उसके बाद दो-दो , बार उनको याद दिला चुके हैं । वह कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट मंगा रहे है, आपको देंगे । यहां भी कहा गया, वहां भी कहा गया । इसके अलावा क्या हो सकता है कृपा करके बतायें, हम बराबर वही करेंगे जो संदस्य कहेंगे, यदि वह संभव होगा ।

श्री बो० सत्यनारायण रेड्डी : उनसे क्या जवाब मिला ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं तो यही कह रहा हूं कि उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है ।

श्री भनुभाई पटेल : मैं उपाय बता सकता हूं ।

श्री सभापति : उपाय बताइये ।

श्री रामेश्वर सिंह : हम बताते हैं उपाय ।

श्री सभापति : आप जरा थोड़ी देर ठहर जायें । आप बाद में आये हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं उपाय बताऊंगा इनको ।

श्री सभापति : अकेले में बता देना ।

SHRI MURASOLI MARAN: Sir,.. *(Interruptions)*

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Perhaps the hon. Member should be called when the fight is betwee$_n$ Pakis'an and India The hon. Member should be given the command.

MR. CHAIRMAN. H$_e$ understands me very well. *(Interruptions)*

SHRI MURASOLI MARAN- If a foreign national is arrested, the practice is that that national would be allowed to be contacted, particularly by the Embassy or the Consulate

General office. Later the arresting authorities will permit the person arrested or detained to be taken immediately to the Embassy and the Embassy people see that he is deported. So it is sad and surprising that 10 persons have been languishing in jail for 8 years. I would like to know whether such facility or such system is available in Pakistan. So, I would like to know whether it is doing about the Indians. The Embassy is there or our Consulate is there to get the information. I want to know whether they have taken any such action. SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, for a long time we have been trying to enter into an arrangement with Pakistan for giving receiprocal consular access facilities in both Countiies. This has not been agreed to by Pakistan for a long time. But after a good deal of persuasion, it is only recently, just about a month back to be exact, that they have agreed to enter into an arrangement with India in regard to giving consular access facilities to the prisoners. Now, we will have to work out an arrangement. MR. CHAIRMAN: Modality.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: ... an agreement on that. We are going to do that as expeditiously as practicable and then, perhaps, this difficulty will be mitigated to some extent.

SHRl MURASOLI MARAN: Is that arrangement existing for other countries?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: In some cases it exists and in some others it does not.

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, this is not a very light matter. This is a very serious matter in which not only the lives of ten Indian nationals are involved but the honour of a sovereign country like India is involved. And ten cases are only the known cases. We do not know how many cases are there which have not seen the light of the day because even in these ten cases we are helpless. May I know from the hon. Minister whether over and above trying to know through the agency, he had tried to raise this issue during the past negotiations with Pak officers or during his counter-part's visit to this country or during his visit to Pakistan? And when you are asking us to show the way, the Government, the External Affairs Ministry is powerful enough to find out ways and means. But may I ask whether the Government has moved. Amnesty International, who has the access to every country to go into the jails, to find out how many Indian nationals are there or whether the Government will move any international agency, if we are not so friendly today and if they do not allow our Embassy to go there and find out, to find out the exact number? Sir, the third thing is that recently there was a report in the newspaper that an Indian national whose term of six years was over was released and without rhyme or reason, he was again arrested at the gates of the jail and put back in the jail. Such incidents are going on. So, I would like to know whether the international agencies will be involved whether Amnesty International will be requested and whether some other steps will be taken during the course of their future negotiations also.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: This question pertains to a particular set of ten prisoners and I have given all the information that is available with me. We are waiting for further information and further action from the other side. There is no need for us, as of now, to think of any other action. We expect the Government of Pakistan, having promised to give us the information a*id also take action, to do so. This is what we are waiting for. And in regard to other cases, individual cases, if questions are put, I can always give the information whenever needed. So far as our talks with the Foreign Minister of Pakistan are concerned in regard to certain categories of prisoners, I have answered on the floor of this House and on the floor of the other House also in detail about those cases.

SHRI MANUBHAI PATEL; Will you move Amnesty International?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: That is what I am saying. The Government of Pakistan have promised some action. They have promised information. We have reminded them once or twice. Now let us wait. After all, it is a matter between two Governments .

SHRI MANUBHAI PATEL: Still we are not sure about the number. Your reply is in regard to ten prisoners only. Regarding the others, there are so many reports and we do not know whether they are right or wrong.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO ... Sir, about the number *1* would like to inform the hon. Member that it is something which fluctuates from day to day because if some people are arrested today on the basis that they do not have travel documents> it is possible that on, the same day some who had been arrested a month back may have been released. So, this is a number which fluctuates. It won't fluctuate too much; but then there is a fluctuation and on a particular day how many are. .

MR. CHAIRMAN: On the 7th; March there were ten . • .

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: . . . in this particular jail, Sir.

MR. CHAIRMAN; That is what you have said. (Interrwptions). Everybody cannot be allowed to ask questions. Otherwise we would never proceed further and there are people who have never asked questions.

SHRI SURESH SHAMRAO KALMADI: Sir, in the Indo-Pak war many personnel of the Armed Forces were declared missing. This question has come up on the floor of the House time and again especially because of the anxious queries of the dependants of the missing[1]. Last time the Minister assured the House that he would check up with the Government of Pakistan and all efforts would be made to find out about those missing during the war. I would like to know the progress made from the Minister of External Affairs.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, this has nothing to do with the question but I would volunteer the information as of today. As I had informed both the Houses, the suggestion was, that we should make available to them the photographs of these personnel, which has been done, and now we are waiting for further action from the other side.

MR. CHAIRMAN: Last question, Mr. Maurya.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, क्योंकि जिस संबंध से अभी प्रश्न आया है, उसी से यह जुड़ा है, कि युद्ध के बंदी पाकिस्तान की जेलों में कितने हैं, उनको यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत सों को पागल कर दिया गया है । क्या यह तमाम समाचार सत्य हैं और अगर सत्य हैं, तो इस संबंध में भारत सरकार क्या कर रही है ?

श्री सभापति : यह तो अभी शुरू में हो चुका है । आप जरा देर से आए । यह तो क्वश्चयन पहले हो चुका था ।

श्री रामेश्वर सिंह : हमको मौका दें . . . (**व्यवधान**) हम इसका सलूशन बता दें . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : नहीं, अब नहीं . . . (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : हमें संरक्षण दीजिए . . . (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : जहां आप इतना समय देते है, वहां इनको एक सवाल के लिए . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : अच्छा, आप पूछि चलिए ।

डा० महाबीर प्रसाद : मंत्री जी ने जो कुछ भी बताया है या जो कुछ भी चर्चा हुई है, वह चर्चा तो सार्वजनिक रूप से जब अखबारों में यह बात आ गई है, तो जानी हुई बात पर जो भी जवाब दे रहे हैं, वह दे रहे हैं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारा

विदेश मंत्रालय क्या करता है और वहां का जो हाई कमीशन है, वह क्या करता है और हमारी खुफिया एजेंसी, या जो भी एजेंसी पाकिस्तान में हो, वह सब क्या करती है, जो इन सब चीजों का पता नहीं लगता है और जब तक यह चीजें अखबार में नहीं आतीं, तब तक हमारी सरकार को पता नहीं लगता, तो फिर इनकी क्या जरूरत है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं अभी दोनों तारीखें दे चुका हूं ।

श्री सभापति : अखबार में पहले नहीं आई, बाद में आई ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य को अब मुझे यह भी समझाना पड़ेगा कि सात मार्च पहले आता है और पांच अप्रैल बाद में ।

श्री सभापति : वही तो मैंने कहा जब मि० बागाईतकर कह रहे थे, उनको महीने, पांच और सात का फर्क नहीं ... (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : हमारा सलूशन है... (**व्यवधान**) हम एक सलूशन देना चाहते हैं....

डा० महाबीर प्रसाद : जो जेल में हैं, हमारी खुफिया एजेन्सी को पता क्यों नहीं हुआ ?

श्री सभापति : उनको पता था। अखबार से पहले पता था । चलिए ... (**व्यवधान**)

डा० महाबीर प्रसाद : 1974 से वह जेल में हैं।

श्री सभापति : सात मार्च और पांच अप्रैल, का फर्क तो अभी बताया है आपको।

श्री रामेश्वर सिंह : मैंने आपसे आग्रह किया है कि मेरे पास सलूशन है। वह सलूशन मैं बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : बताओ ।

श्री रामेश्वर सिंह : इनका विदेश विभाग अगर थोड़ा विवेक से यह लोग काम लें तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। पाकिस्तान सरकार से मैं दोस्ती करना चाहता हूं। पाकिस्तान सरकार से मैं इतनी दोस्ती करना चाहता हूं कि जो हमारे देश भारतवर्ष पर आने वाला आक्रमण का जो खतरा है उसको दोस्ती से निपटा सके ।

श्री सभापति : आप सवाल करिए।

श्री रामेश्वर सिंह : सवाल हमारा है।

श्री सभापति : आपको अगर दोस्ती करनी है तो पासपोर्ट लीजिए और जाइये।

श्री रामेश्वर सिंह : नहीं, तो मैं बता रहा हूं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : सलूशन देख लीजिए ना।

श्री रामेश्वर सिंह : सलूशन हमारा है कि जब बंगला देश के साथ लड़ाई हुई और उसमें हमारे कुछ नौजवान पकड़े गये, तो भारत सरकार ने इलान कर दिया, इनके विदेश विभाग ने कि यह लोग मार दिये गये हैं, अब यह लोग नहीं हैं।

श्री सभापति : अब वह किस्सा पुराना है।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : उसको तो कई साल हो गये ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं कि इनका विदेश विभाग करता क्या है ? यह सलूशन अगर इनको मालूम हो जाए, तब उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि उन को चाहिए था कि उन आदमियों को रोक रखते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उन की उदारता है। लेकिन विदेश विभाग की * * *

श्री सभापति : इस को नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रामेश्वर सिंह : यह इस से संबंधित है । लेकिन वह विवेक से काम लें । उनके विदेश विभाग में राय देने वाले जो सलाहकार हैं उन की राय पर वे न चलें। स्व-विवेक से काम करें। देश का आप ने सत्यानाश कर दिया * * *

श्री सभापति : इस का इशारा बिलकुल निकाल दिया जाये। कल से यह झगड़ा चल रहा है।

श्री शिव चन्द्र झा : इस को क्यों नहीं लिखा जायेगा ।

(Interruptions)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं इसका रिप्लाई नहीं चाहता हूं।

श्री सभापति : आप इस की चर्चा मुझ से चेम्बर में कर लें । This will not be recorded at all. This is completly banned from recording. Now, next question.

***Not recorded.

Water Cards in Mizoram

*83. SHRI LADLI MOHAN NIGAM:

DR. M. M. S. SIDDHU: j

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Jagran', Lucknow edition, dated the 14th April, 1982 under the caption "Water Cards in Mizoram";

(b) if so, what are the details thereof and what are the guidelines for the issue of water cards in Aizwal;

(c) in what manner Government propose to tackle the Chronic scarcity of water in that region; and

(d) what are the areas which chronically suffer for want of potable water in Mizoram?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) A copy of the News Item is enclosed. As the water cards have been issued by the Union Territory Administration, the guidelines are not available with the Central Government;

(c) and (d) The Water Supply Programme in Mizoram is implemented by the Union Territory Administration. The Water supply schemes are drawn up by the Union Territory Ad-

fThe question was actually asked on the floor of the House by Dr. M. M. S. Siddhu.